राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक: प. 1(62)चिशि / ग्रुप–1 / 96 जयपुर, दिनांक 07.09.2017

परिपत्र

प्रायः यह देखा जा रहा है कि राज्य के चिकित्सक शिक्षको द्वारा राज्य में चिकित्सा सेवा के अतिरिक्त निजी चिकित्सा संस्थानों पर सेवाएं देकर प्राईवेट प्रेक्टिस व सर्जरी इत्यादि की जाती है, जो कि नियमों के विपरीत है, तथा निजी चिकित्सा संस्थानों पर राजकीय चिकित्सकों द्वारा सेवा के दौरान मरीजो की मृत्यु के प्रकरण भी राज्य सरकार के समक्ष आये है।

अतः राजकीय चिकित्सक शिक्षको को निजी चिकित्सा संस्थानों पर प्राईवेट प्रैक्टिस किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित संभागीय आयुक्त के निर्देशन में निम्नानुसार एक तीन सदस्यीय समिति दल का गठन किया जाता है:–

1. प्रशासनिक अधिकारी–2
   (संभागीय आयुक्त द्वारा मनोनित)
2. एक चिकित्सक शिक्षक सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित
   (आचार्य स्तर से कम का नही हो)

समिति गठन के आदेश संभागीय आयुक्त द्वारा जारी किये जाऐगें। उक्त समिति सम्बन्धित संभाग में "फ्लाईंग–स्कैवड" के रूप में निजी चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण कर इस प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी रखेगी, तथा समय–समय पर अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत करेगी। संभागीय आयुक्त द्वारा उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाई जावेगी।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राज.जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा,जयपुर
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
6. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
8. रक्षित पत्रावली

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव